

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 279/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.09.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक- 08.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयी:-

01-थाना मेंहनगर, आजमगढ़ : महिला का अश्लिल वीडियो वायरल कर धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 04.09.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना मेंहनगर पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र हरिहर राम ग्रा0 रामगढ़ थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ ने वादिनी का अश्लिल वीडियो बनाकर वायरल कर दिया तथा वादिनी द्वारा पूछने पर वादिनी को गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-359/2024 धारा 77, 352, 351(2) BNS & 67A IT ACT पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 07.09.2024 को निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र हरिहर राम निवासी रामगढ़ थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को ग्राम रामगढ़ से समय करीब 13:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- निरीक्षक जयप्रकाश यादव, आरक्षी अमरजीत थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।



02-थाना जहानागंज, आजमगढ़ : किशोर को भगाने तथा दुष्कर्म करने का आरोप बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 28-08-2024 को वादी मुकदमा थाना जहानागंज द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी लडकी को 01 बाल अपचारी भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 446/2024 धारा धारा 137(2), 87, 61(2) BNS, पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अजय निषाद द्वारा प्रारम्भ किया गया। मुकदमा उपरोक्त में पीडिता/अपहता के बयान के आधार पर धारा 65 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया तथा आज दिनांक 08.09.2024 को उ0नि0 अजय निषाद मय (सादे वस्त्रों में) द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को ग्राम कनैला से समय करीब 07:45 बजे पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अजय निषाद, हे0का0 जितेन्द्र यादव थाना जहानागंज आजमगढ़।

03-थाना रौनापार, आजमगढ़ : अवैध तमन्चा कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अवैध तमन्चा कारतूस का निर्माण व तस्करी करने वाले अपराधियों व अवैध तमन्चा कारतूस रखने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.09.2024 को उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय मय हमराह द्वारा अभियुक्त अवधेश पुत्र घुरहू साकिन फतेपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 31 वर्ष को चेकिंग के दौरान फरीदपुर मोड़ से 01 देशी तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 00.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 359/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 359/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 319/2022 धारा 308,323,504,506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 114/22 धारा 427/429 भादवि व 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 थाना गोला जनपद गोरखपुर।
4. मु0अ0सं0 379/23 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरत नि0 अधि0 थाना गोला जनपद गोरखपुर।
5. मु0अ0सं0 08/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना गोला जनपद गोरखपुर।

बरामदगी- 01 देशी तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय, का0 अमन सिंह, का0 राजकुमार गौड़ थाना रौनापार, आजमगढ़।



04-थाना सरायमीर, आजमगढ़ : अवैध तमन्चा-कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अवैध तमन्चा कारतूस का निर्माण व तस्करी करने वाले अपराधियों व अवैध तमन्चा कारतूस रखने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.09.2024 को उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा हाजीपुर पुलिया से अभियुक्त मो0 मोअज्जम उर्फ मुन्ना पुत्र फरीद सा0 डेमरी मकदूमपुर थाना सरायमीर, आजमगढ़ उम्र लगभग 50 वर्ष को 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 04:10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 480/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0- 456/24 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सरायमीर।
 - 2.मु0अ0सं0 480/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अखिलेश यादव, हे0का मोतीलाल यादव, का0 इंग्लेश यादव थाना सरायमीर आजमगढ़।



05-थाना निजामाबाद, आजमगढ़ : हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 30.07.2024 को वादिनी मुकदमा तारा देवी के पति बालमीत यादव निवासी मोहनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना निजामाबाद पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 29.07.2024 की रात्रि में वादिनी घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी कि अचानक 03 व्यक्ति आ गये तथा आदर्श यादव उर्फ बिट्टू उर्फ हंटर पुत्र अवधेश यादव निवासी मोहनपुर ने पिस्टल निकाल कर जान से मारने की नियत से वादिनी के पति बालमीत यादव के सीने में गोली मार दिये तथा गाली गलौज करते हुए वादिनी को मारने पीटने लगे तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 367/24 धारा 109,115(2),352,351(3) BNS पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्तों 1. बृजेश यादव पुत्र राम सेवक यादव नि0 देवदत्त पट्टी ,सोफीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, 2. विशाल यादव पुत्र अज्ञात निवासी सोफीपुर देवदत्तपट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, 3. विकास यादव व अमन यादव पुत्रगण अज्ञात निवासी ग्राम मद्देशिया थाना तहबरपुर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 61(2) BNS की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.09.2024 को उ0नि0 रंजय सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अमन यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी ग्राम मद्देशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को सोफीपुर तिराहे समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रंजय कुमार सिंह, हे0का0 प्रदीप पाण्डेय, का0 राहुल कुमार सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।



06-थाना बरदह : चोरी करने वाला शातिर अपराधी चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 07.09.2024 को वादी मुकदमा कलामुद्दीन s/o जंकी ग्राम बरौना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के द्वारा द्वारा थाना बरदह पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 26.08.2024 को अभियुक्त मासूम उर्फ आवेश पुत्र नेसार उर्फ मटरू निवासी ग्राम बरौना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने वादी के घर में घुसकर सोने, चाँदी के गहने चोरी कर लिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 290/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

➔ दिनांक 16.06.2024 को वादिनी मुकदमा इन्द्रावती यादव पत्नी लालचन्द यादव ग्राम-सतैनी, थाना- बरदह जिला-आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि वादिनी के घर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 200/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

➔ वादी मुकदमा नशीम S/O अकबाल R/O पसिका PS बरदह जनपद आजमगढ़ के तहरीरी सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 198/24 धारा 379 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

➔ दौरान विवेचना साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त अभियुक्त मासूम उर्फ आवेश पुत्र नेसार उर्फ मटरू निवासी ग्राम बरौना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 07.09.2024 को उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदम उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त मासूम उर्फ आवेश पुत्र नेसार उर्फ मटरू निवासी ग्राम बरौना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को चोरी के सामान 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 01 चेन (पीली धातु) तथा नगद 440 रुपया के साथ सतैनी नहर खराट के पास से समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी- 01 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 01 चेन (पीली धातु) तथा नगद 440 रुपया

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 41/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बरदह आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 200/24 धारा 379/411 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 198/24 धारा 379/411 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव, उ0नि0 मनीष सिंह, हे0का0 विहंगल यादव, का0 सतिभान सिंह, का0 संदीप शाह थाना बरदह जनपद आजमगढ़।



07-थाना पवई, आजमगढ़ : जिला बदर अवधी के दौरान जनपद में निवास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.4.2024 को अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू- राजस्य) आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त शसशाद को अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 में 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था।

पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में आज दिनांक 08.09.2024 को थानाध्यक्ष पवई अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त शसशाद पुत्र स्व० आस मोहम्मद शाह निवासी रकबा पवई जनपद आजमगढ़ को जिला बदर अवधी के दौरान घर पर निवास करने के कारण अभियुक्त के घर ग्राम रकबा से समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०- 179/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० 11 पशु क्रूरता अधि० व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं०- 287/22 धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं० 307/24 धारा 10 उ०प्र० गुण्डा गर्दी नियन्त्रण अधिनियम 1970 थाना पवई जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, का० बृजेश सरोज, का० पवन यादव, का० राकेश कुमार गौड, का० अशफाक अंसारी, म०का० कल्पना निर्मल थाना पवई जनपद आजमगढ़।



08-थाना पवई : जिला बदर अवधी के दौरान जनपद में निवास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16.04.2024 को अपर जिला मजिस्ट्रेट भू राजस्व आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त चन्द्रशेखर को अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम 1970 के तहत 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था।

आज दिनांक 08.09.24 को उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सुम्हाडीह चकिया तिराहे से जिलाबदर अपराधी चन्द्रशेखर पुत्र स्व0 हरीराम निवासी ग्राम बहाउद्दीनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 31 वर्ष को जिला बदर अवधी के दौरान जनपद में निवास करने हेतु समय करीब 11:05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

- 1 मु0अ0सं0 110/15 धारा 41/411/413/414 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़
- 2 मु0अ0सं0 80/15 धारा 379/411 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
- 3 मु0अ0सं0 229/15 धारा 379/411 भादवि थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर
- 4 मु0अ0सं0 85/15 धारा 379/411 भादवि थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर
- 5 मु0अ0सं0 35/17 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़
- 6 मु0अ0सं0 126/17 धारा 411/413/414/420/468/470/471 भादवि थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकर नगर
- 7 मु0अ0सं0 130/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकर नगर
- 8 मु0अ0सं0 55/19 धारा 110 सीआरपीसी थाना पवई जनपद आजमगढ़
- 9 मु0अ0सं0 152/20 धारा 307/413/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़
- 10 मु0अ0सं0 94/21 धारा 110 सीआरपीसी थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य, का0 अनुराग यादव, का0 मुकेश सिंह, का0 कुलदीप वर्मा थाना पवई जनपद आजमगढ़।



09-थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ : गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 06.01.2024 को वादी मुकदमा विजय कुमार यादव उर्फ गुड्डू पुत्र राजपत यादव निवासी ग्राम वजीरमलपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर मु.अ.सं.- 08/24 धारा 395,307,323,504,506,427 भा.द.वि. व 3(1)द,3(1)ध,3(2)V SC/ST एक्ट बनाम 1.सफदर पुत्र एखलाख ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. अब्दुल्ला पुत्र इसरार ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 3. सद्दाम पुत्र चुन्नू ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 4. मो0 सलीम पुत्र इलियास ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 5. अयूब उर्फ बन्ने पुत्र इलियास ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 6. मोहम्मद जकरिया उर्फ नन्हे पुत्र मोहम्मद इलियास ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 7. आरोपी समसाद पुत्र हमीद निवासी गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 8. अबु उजैफा पुत्र नैयर आलम निवासी गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया | जिसके क्रम में

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा लूट हत्य व डकैती के अपराधों से सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष बसन्त लाल की रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 30.08.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 31.08.2024 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ की तहरीर पर थाना गम्भीरपुर पर मु.अ.सं. 334/2024 धारा 2(b),(i),3(1) उ0प्र0गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ बनाम 1.सफदर पुत्र एखलाख ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. अब्दुल्ला पुत्र इसरार ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 3. सद्दाम पुत्र चुन्नू ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 4. मो0 सलीम पुत्र इलियास ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 5. अयूब उर्फ बन्ने पुत्र इलियास ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 6. मोहम्मद जकरिया उर्फ नन्हे पुत्र मोहम्मद इलियास ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 7. आरोपी समसाद पुत्र हमीद निवासी गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 8. अबु उजैफा पुत्र नैयर आलम निवासी गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.09.2024 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह का द्वारा उपरोक्त गैंगेस्टर के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त सफदर पुत्र एखलाख ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को गौरी मोड तिराहे से समय करीब 08.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	08/2024	395,307,323,504,506,427 भा0द0वि0	गम्भीरपुर	आजमगढ़
2	334/2024	2(B)(1)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट	गम्भीरपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष गम्भीरपुर उ0 नि0 बसन्तलाल मय हमराह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।



10- थाना पवई : जिला बंदर अवधी के दौरान जनपद में निवास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू- राजस्व) आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र पासी पुत्र रतिलाल निवासी ग्राम कछरा थाना पवई आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष

को अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र०गु०नियंत्रण अधिनियम 1970 मे दिनांक 16.04.2024 से 06 माह के लिए जिलाबंदर किया गया था।

आज दिनांक 08.09.2024 को उ०नि कृष्ण कुमार मिश्रा मय द्वारा पवई बाजार मे संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान जिलाबंदर अपराधी शैलेन्द्र पासी पुत्र रतिलाल निवासी ग्राम कछरा थाना पवई आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष को जिला बंदर अवधी के दौरान जनपद में निवास करने हेतु समय करीब 10.55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

अपराधिक इतिहास -

- 1 मु०अ०सं० 212/12 धारा 392/411 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
- 2 मु०अ०सं० 393/12 धारा 3(1) यू.पी. गैंग० एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
- 3 मु०अ०सं० 224/12 धारा 389/411 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़
- 4 मु०अ०सं० 20/14 धारा 60 आब० अधि० थाना पवई जनपद आजमगढ़
- 5 मु०अ०सं० 22/16 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना जीआरपी जनपद पटियाला
- 6 मु०अ०सं० 158/15 धारा 110 सीआरपीसी थाना पवई जनपद आजमगढ़
- 7 मु०अ०सं० 007/17 धारा 397/341/41/412 भादवि थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर
- 8 मु०अ०सं० 011/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर
- 9 मु०अ०सं० 204/20 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
- 10 मु०अ०सं० 205/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
- 11 मु०अ०सं० 120/21 धारा 110 सीआरपीसी थाना पवई जनपद आजमगढ़
- 12 मु०अ०सं० 127/02 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
- 13 मु०अ०सं० 189/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़
- 14 मु०अ०सं० 309 /24 धारा 10 उ०प्र० गुण्डा गद्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना पवई जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ०नि०प्र० कृष्ण कुमार मिश्रा, हे०का० कपिल कुमार सिंह, का० शुभम मिश्रा, का० मो० सज्जाद, का० विकास यादव, का० जितेन्द्र कुमार, म०का० अंशिका यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़।



11-थाना जीयनपुर : गैरेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 01.09.2024 को आवेदक शैलेन्द्र यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी ग्राम कारीसाथ पो0थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना जहानागंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी की बहन की शादी 28.05.2024 को शनि पुत्र सुबाष निवासी ग्राम रसूलपुर उर्फ नरईपुर पोस्ट लाटघाट जनपद आजमगढ़ के साथ हुई थी दहेज की बात को लेकर शनि और परिवार में उसके पिता सुबाष और उसके दादा मुसाफिर भाई मनी, कृष्णा और आयुष्मान और उसकी माता अनुराधा व उनकी बहन सुधा ने बार-2 प्रताड़ित किया तथा वादी की बहन की हत्या कर दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 402/2024 धारा 85/80BNS व 3/4डीपी एक्ट बनाम 1.शनि यादव पुत्र सुबाष यादव 2.सुबाष यादव पुत्र मुसाफिर यादव 3.मुसाफिर यादव पुत्र अज्ञात 4.मनी यादव पुत्र सुबाष 5.कृष्णा यादव पुत्र सुबाष 6.आयुष्मान यादव पुत्र सुबाष 7.अनुराधा यादव पत्नी सुबाष 8.सुधा यादव पुत्री सुबाष समस्त निवासीगण रसूलपुर उर्फ नरईपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ के पंजीकृत हुयी जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी महोदय सगडी द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम मे।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.09.2024 को उ0नि0जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता अनुराधा यादव पत्नी सुबाष यादव निवासी रसूलपुर उर्फ नरईपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को ग्राम रसूलपुर नरईपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ से समय करीब 11.40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0जाफर खाँ, क0धनन्जय राय, का0सौरभ सिंह, का0सतीश सिंह, म0का0ममता सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।



12-थाना – तरवाँ, आजमगढ़ : एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक-03.09.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि वादी की लडकी को अभियुक्त सौरभ राजभर पुत्र रामवृक्ष राजभर उर्फ गुड्डू निवासी पकड़ी कला (कनखुरिया) थाना तरवा जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष अपने साथ बहला फूसला भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 256/2024 धारा 137(2),87, बी.एन.एस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 दिनेश कुमार पाल द्वारा सम्पादित किया जा रहा है तथा पीड़िता को दिनांक-07.09.2024 को पल्हना तिराहा जनपद आजमगढ़ से बरामद किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.09.2024 को उ0नि0 दिनेश कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सौरभ राजभर पुत्र रामवृक्ष राजभर उर्फ गुड्डू निवासी पकड़ी कला (कनखुरिया) थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को भरथीपुर गेट के पास से समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 दिनेश कुमार पाल, राहुल यादव थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़।



13- थाना अतरौलिया : पीआरवी कर्मचारियों से मारपीट करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 07.09.2024 को पीआरवी 1055 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ मय कर्मचारीगण द्वारा एक इवेंट के दौरान दोनो पक्षो को समझा बुझाकर बूढनपुर चौराहे पहुचे जहां पर बलवन्त सिंह पुत्र हरेन्द्र सिंह आदी 5-6 लोग आकर कार्य सरकार मे बाधा डालते हुए हे0का श्रीनाथ गौड को गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की नियत से सभी लोग मिलकर मेरा गला दबाने, वर्दी खीचकर फाड देने तथा का0 पवन कुमार निर्मल से भी हाथापाई कर मारने पीटने करना शोर करने पर आस पास के लोग तथा बूढनपुर रात्रि गस्त मे लगे कर्मचारीगण का0 नीरज मिश्रा व का0 अजीत कुमार मौके पहुचें तथा अभियुक्तों 1.बलवन्त सिंह पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कारीखुट थाना महाराजगंज आजमगढ, 2.दिनेश यादव पुत्र रामपत यादव नि0ग्राम देवारा कबीरुद्दीनपुर थाना महाराजगंज आजमगढ, 3.विकास सिंह विक्की पुत्र धीरेन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया आजमगढ, को पकड लिया गया तथा मौके से फरार अभियुक्तों 4.सरफराज पुत्र अज्ञात नि0ग्राम मिश्रपुर थाना महाराजगंज आजमगढ 5.सौरभ यादव पुत्र जितेन्द्र यादव निवासी ग्राम कारीखुट थाना महाराजगंज आजमगढ 6.हरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 राजदेव निवासी ग्राम कारीखुट थाना महाराजगंज आजमगढ 7.शाहिल राजभर पुत्र अज्ञात नि0ग्राम परानपुर थाना महाराजगंज आजमगढ के विरुद्ध मु0अ0सं0- 318/24 धारा 109/115(2)/121(1)/132/352/3(5) बीएनएस बनाम 1.बलवन्त सिंह पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कारीखुट थाना महाराजगंज आजमगढ व बोलेरो चालक 2.दिनेश यादव पुत्र रामपत यादव नि0ग्राम देवारा कबीरुद्दीनपुर थाना महाराजगंज आजमगढ 3.विकास सिंह विक्की पुत्र धीरेन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया आजमगढ 4.सरफराज पुत्र अज्ञात नि0ग्राम मिश्रपुर थाना महाराजगंज आजमगढ 5.सौरभ यादव पुत्र जितेन्द्र यादव निवासी ग्राम कारीखुट थाना महाराजगंज आजमगढ 6.हरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 राजदेव निवासी ग्राम कारीखुट थाना महाराजगंज आजमगढ 7. शाहिल राजभर पुत्र अज्ञात नि0ग्राम परानपुर थाना महाराजगंज आजमगढ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 राम निहाल वर्मा द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 07.09.2024 को पीआरबी कर्मचारियों से मारपीट करने वाले अभियुक्तों 1.बलवन्त सिंह पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कारीखुट थाना महाराजगंज आजमगढ 2.दिनेश यादव पुत्र रामपत यादव नि0ग्राम देवारा कबीरुद्दीनपुर थाना महाराजगंज आजमगढ 3.विकास सिंह विक्की पुत्र धीरेन्द्र कुमार सिंह निवासी ग्राम भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया आजमगढ को मौके पर से ही गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

बलवन्त सिंह पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कारीखुट थाना महाराजगंज आजमगढ

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	188/20	147, 323, 342, 427, 504	महाराजगंज	आजमगढ
2.	166/2016	294, 504 भादवि व 66A आईटी एक्ट	महाराजगंज	आजमगढ
3.	318/24	109/115(2)/121(1)/132/352/3(5) बीएनएस	अतरौलिया	आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष अतरौलिया उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 श्रीनाथ गौड पुत्र स्व0 सुदामा गौड , का0 पवन कुमार निर्मल मय पीआरवी वाहन सं0 1055 मय चालक हो0गा0 सुधीर गिरी पीआरवी 1055 व का0 नीरज मिश्रा ,का0 अजीत कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ



14-थाना जीयनपुर, आजमगढ़ : गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 01.01.2024 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा नहर पुलिया रौनापार मार्ग के पास से 24.370 K.g. गांजा के साथ अभियुक्त टन्नू चौरसिया पुत्र सुखू चौरसिया निवासी बहुलही नरही टोला थाना रुद्रपुर जनपद देवरियां उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा अभियुक्त मुकेश सिंह पुत्र जयकरन सिंह निवासी चरियांव खास गोपालचक थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया मौके से भागने में फरार रहा तथा मा0न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया उक्त के क्रम में-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा गांजा/मादक पदार्थ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध थानाध्यक्ष जीयनपुर विवेक कुमार पाण्डेय की रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 30.07.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 24.08.2024 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष जीयनपुर विवेक कुमार पाण्डेय की तहरीर पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 383/24 धारा 2(B)(2)/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1.टन्नू चौरसिया पुत्र सुखू चौरसिया निवासी बहुलही नरही टोला उर्फ बटुलही बरई टोला थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया 2.मुकेश सिंह पुत्र जयकरन सिंह निवासी चरियांव खास गोपालचक थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.09.2024 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा उपरोक्त गैंगेस्टर के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश सिंह पुत्र जयकरन सिंह निवासी चरियांव खास गोपालचक थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया को रसूलपुर नरईपुर पेट्रोल पम्प थाना जीयनपुर आजमगढ़ के पास से समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 01/2024 धारा 8/20NDPS ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना, का0 नित्यानन्द यादव, का0प्रदुम्न यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़।



15- थाना कोतवाली : किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 05.09.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली पर प्रा0 पत्र दिया गया कि उसकी लडकी को अभियुक्त विजय सोनकर पुत्र गब्बू सोनकर साकिन मु मुकेरीगंज शहर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ दिनांक 04.09.2024 की रात्रि में बहला फुसलाकर कही भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 492/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.09.2024 को उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विजय सोनकर पुत्र गब्बू सोनकर साकिन मुकेरीगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को बन्धा रोड (बडा गणेश मंदिर के थोडी दुर) से समय करीब 00.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय चौकी प्रभारी , हे0का0. सतीश यादव व का0 पंकज सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़।



16- थाना अतरौलिया : महिला के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 07.09.2024 को पीड़िता/वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त मिन्द्रजीत पुत्र पंचम नि0 गोपालीपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष ने वादिनी/पीड़िता के घर में घुसकर वादिनी के साथ छेड़छाड़ किया तथा विरोध करने पर गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने व जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-316/24 धारा 74/333/115(2)/352/351(2) वीएनएस 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम मिन्द्रजीत पुत्र पंचम सा0 गोपालीपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 राजेन्द्र कुमार के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.09.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मिन्द्रजीत पुत्र पंचम नि0 गोपालीपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को ग्राम गोपालीपट्टी से समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, का0 धर्मेन्द्र गुप्ता थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।



17- थाना अतरौलिया : हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 06.09.2024 को वादी मुकदमा कन्हैया लाल सोनकर पुत्र स्व० महगू राम सोनकर सा० लोहिया नगर पंचायत अतरौलिया थाना-अतरौलिया जनपद-आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि वादी के छोटे भाई तेरस राम सोनकर व उनके साथी प्रकाश चौरसिया पुत्र बन्दी चौरसिया को पश्चिम पोखरा से टहलते हुए वापस घर आते समय पीछे से आ रहे वाहन चार पहिया लाल रंग नम्बर अज्ञात के चालक मो० दाऊद उर्फ गोलू पुत्र मो० महमूद द्वारा तेज रफ्तार व अनियंत्रित तरीके से वाहन चलाते हुए जान से मारने की नियत से दाहिने तरफ आकर टक्कर मार दिया जिससे दोनो लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा दाऊद ने पुनः अपने वाहन को पीछे कर पुनः टक्कर मारते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग व गाली गुप्ता देते हुए भाग गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 314/24 धारा 281/109/352 वीएनएस 3(1)द,3(1)ध,3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम मो० दाऊद उर्फ गोलू पुत्र मो० महमूद सा० खानपुर फतेह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी बूढनपुर किरन पाल सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 17.04.2024 को उ०नि० संतोष कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दाऊद उर्फ गोलू पुत्र मो० महमूद सा० खानपुर फतेह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को भदौरा बाजार से समय करीब 10.25 बजे गिरफ्तार किया गया तथा वाहन सं० -WB 02 AL 2010 टाटा टिगारो को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

क्र०स०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1.	10/2021	307, 34, 504, 506 भादवि	अतरौलिया	आजमगढ़
2.	11/21	3/25 आर्म्स एक्ट	अतरौलिया	आजमगढ़
3.	219/2021	3/25 आर्म्स एक्ट	अतरौलिया	आजमगढ़
4.	397/2022	323, 386, 504 भादवि	अतरौलिया	आजमगढ़
5.	371/2022	323, 325, 504, 506 भादवि	अतरौलिया	आजमगढ़
6.	314/24	281/109/352 वीएनएस 3(1)द,3(1)ध,3(2)5 एससी एसटी एक्ट	अतरौलिया	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ०नि० उ०नि० संतोष कुमार, हे०का० मनोज तिवारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

